प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2016 को आयोजित नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ संपन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

1. **मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना** :–

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कई नगर निकायों में निविदा में ई०–टेंडरिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। विभाग द्वारा इस संबंध में सभी नगर निकायों को दिशानिर्देश भी भेजा गया है। निर्देश दिया जाता है कि सभी योजनाओं की निविदा में ई०–टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाई जाय।

सहरसा एवं रक्सौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि क्रमशः 15 अक्टूबर एवं 30 अक्टूबर तक निविदा प्रकाशित कर दी जाएगी।

2. **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना** :–

सभी नगर निकायों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि "हर घर नल जल" योजना को मार्च, 2020 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है। अतः प्रत्येक नगर निकाय द्वारा इस निश्चय को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु योजना बनाकर कार्रवाई शुरू की जाय। नगर निकायों के लिए तकनीकी स्वीकृति सहित मॉडल प्राक्कलन एवं स्टैण्डर्ड निविदा प्रपत्र बनाये जा रहे हैं, जिसे शीघ्र ही सभी नगर निकायों को भेज दिया जाएगा। तत्काल सभी नगर निकायों को निम्नवत प्रारंभिक तैयारियाँ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया :–

(i) ऐसे सड़कों को चिह्नित कर लें जहाँ पाईप लाईन पहले से ही बिछाई गयी हो और उन सड़कों पर स्थित घरों में केवल पेयजल कनेक्शन ही दिया जाना है। सड़कवार वांछित कनेक्शन की संख्या को चिह्नित कर लें।

(ii) ऐसी योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा या बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा हाल ही में पूर्ण कर ली गयी हैं किन्तु नगर निकाय को हस्तांतरित नहीं की गयी है। इनमें कनेक्शन का प्रावधान किया हुआ है या नहीं, देख लें और यदि नहीं हो तो वांछित कनेक्शन की संख्या का आकलन सर्वे के आधार पर कर लें।

(iii) ऐसी योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा या बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है किन्तु पूर्ण नहीं हुई है। इनमें शेष कार्य का आकलन कर लें।

(iv) ऐसे वार्ड एवं परिवारों को चिह्नित कर लें और सूचीबद्ध कर लें जहाँ अभी तक पेयजल पाईप लाईन नहीं बिछाई गयी है। छोटी से छोटी सड़क को भी अवश्य शामिल करें। मई–जून, 2016 में किये गये सर्वे के आँकड़ों को आधार बनाया जा सकता है।

नल जल योजनांतर्गत भी ई–टेंडरिंग के माध्यग रो निविदा प्रकाशित की जाय। इस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश विभाग द्वारा शीघ्र ही सभी नगर निकायों को प्रेषित की जाएगी।

सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि पूर्व में नल जल योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाना था, लेकिन अब इसका कार्यान्वयन पूर्णरूपेण नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

3. **स्वच्छ भारत मिशन** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शौचालय निमार्ण कार्य की गति धीमी है। नये लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाय। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मुख्यालय स्तर के वरीय पदाधिकारी अपने प्रभार के जिले के नगर निकयों में 2–3 दिन रह कर इसकी समीक्षा करेंगे।

कुछ नगर निकायों द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण हेतु उपलब्ध जमीन विवादित है। निदेश दिया गया कि यदि इस माह के अंत तक उक्त विवादित जमीन के विवाद का निबटारा नहीं होता है तो राशि किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कार्य कराया जाय। यदि आवश्कता हो तो जमीन संबंधी विवाद का निबटारा जिला पदाधिकारी के स्तर से कराया जाय।

वैसे नगर निकाय जहाँ शौचालय निर्माण हेतु राशि का उपयोग हुआ है, वे शीघ्र ही उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजें ताकि उन्हें अग्रेत्तर राशि उपलब्ध करायी जा सके।

जिन नगर निकायों में चुनाव अथवा बाढ़ के कारण शौचालय निर्माण कार्य अवरूद्ध था, वहॉ शीघ्र कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

4. **Housing for All** :- कुल स्वीकृत आवासीय ईकाई का निर्माण, सूची के अनुसार निश्चित रूप से अक्टुबर माह में प्रारम्भ किया जाना है। इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया जाय तथा इस संबंध में दिये गये विभागीय निदेशों का अनुपालन सभी नगर निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

5. **IHSDP** :- इस कार्यक्रम की प्रगति बहुत धीमी है। दिसम्बर तक ही RTGS से व्यय करना है। जनवरी 2017 से केन्द्र सरकार भेजे गये प्रस्ताव को मान्यता नही देगी।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

6. **DAY-NULM** :- पुराने रैनबसेरों के जीर्णोद्वार कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिन रैन बसेरा में अवैध कब्जा है, उसे हटाने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाय। जिन नगर निकायों में रैनबसेरों का निर्माण कार्य संभव नहीं हो तो उनके द्वारा राशि विभाग को वापस लौटा दी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

7. <u>राजीव आवास योजना</u> :– इस योजना का दरभंगा, गया, कटिहार एवं पटना नगर निकायों में कार्य की गति काफी धीमी है। निर्देश दिया गया कि जिन आवासीय ईकाई का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनमे शीघ्र कार्य प्रारंभ करें एवं सतत् अनुश्रवण करें। आधारभूत संरचना के एक मद में यदि राशि उपलब्ध नहीं है तो दूसरे मद से खर्च किया जा सकता है। यदि राशि की कमी है तो विभाग से राशि की माँग की जाय साथ ही व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त)

8. <u>एम०जे०सी०</u>:– मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा, गोगरी–जमालपुर में एम०जे०सी० के लंबित मामलों में प्रतिशपथ पत्र शीघ्र दायर किया जाय।

बैठक में उपस्थित मधुबनी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एम०जे०सी० में लंबित मामले में प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। निर्देश दिया गया कि प्रतिशपथ पत्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन– संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

9. <u>सी०डब्लू०जे०सी०</u>:– भागलपुर, अररिया, मुंगेर, फारबिसगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर तथा अरवल में सी०डब्लू०जे०सी० के लंबित मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाय तथा विभाग में इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

10. <u>विधायी मामले</u> :– बिहार विधान मंडल द्वारा निवेदन समित, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, आश्वासन समिति आदि की लागातार समीक्षा की जा रही है। अतएव व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए शीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन अतिशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी

11. <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन</u> :– समीक्षा क्रम में पाया गया कि कई नगर निकायों से अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतः लंबित अंकेक्षण से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को उपलबध करायी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी

12. <u>प्रशासनिक भवन</u> :– कई नगर निकायों द्वारा जानकारी दी गई कि प्रशासनिक भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रतिवेदन विभाग को भेजें ताकि अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।

जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशासनिक भवन की निविदा निष्पादन हेतु टी०एस०/टी०ए० के लिए विभाग के तकनीकी कोषांग में लंबित पड़ा हुआ है। निदेश दिया गया कि तकनीकी कोषांग से मिलकर कर/दूरभाष पर वार्ता करके अविलंब निष्पादित करायी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/ मुख्य अभियन्ता, बुडा)

13. <u>राज्य योजना</u> :– समीक्षा क्रम में पाया गया कि राज्य योजना में व्यय के मामले में अरवल सहित कई निकायों की स्थिति बहुत खराब है। अतएव तीनों निकायों में राज्य योजना में नीचे से स्थिति खराब है, उनसे कारण पृच्छा की जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी

14. जमुई, खगड़िया एवं किशनगंज सहित अन्य अनुपस्थित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, जिनके प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनसे स्पष्टीकरण माँगा जाय।

(अनुपालन– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

13/10/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7391 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 13/X/16

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7391 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 13/X/16

प्रतिलिपि :– सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7391 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 13/X/16

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/2016
प्रधान सचिव

25